न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 06/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00359

अपीलांट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

केसाराम पुत्र रतनाराम जाति पटेल निवासी गाजनगढ़ जरिये वाद मित्र राणाराम पुत्र केसाराम निवासी गाजनगढ़ तहसील रोहट जिला पाली

1. छोगाराम पुत्र किशनाराम जाति पटेल
2. देवाराम पुत्र किशनाराम जाति पटेल
3. मोटाराम पुत्र रतनाराम जाति पटेल सभी निवासीगण ग्राम गाजनगढ़ तहसील रोहट जिला पाली।
4. तहसीलदार रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता :– रेस्पोडेंटगण की ओर से दौलत मकवाना उपस्थित।

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 25/11/21

अधिवक्ता अपीलांट की द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध निर्णय 11.6.2018 जो राजस्व/केम्प/संख्या 18/121 में तहसीलदार रोहट द्वारा पारित किया के विरूद्ध पेश कर उसे निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया है। रेस्पोडेंटगण को तलब किया गया। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सोजत से पत्रावली तलब की गई एवं बसह सुनी गई।

वक्त बहस वकील अपीलांट अनुपस्थित। वकील अपीलांट पिछले लम्बे समय से तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने बाबत कथन करते हुए वकील रेस्पोडेंट ने बहस करने की मन्शा जाहिर की गई इस पर वकील रेस्पोडेंट को सुना गया। वकील रेस्पोडेंट ने म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि यह अपील आपसी सहमति से हुए बंटवाड़ा आदेश दिनाँक 11.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16.12.2019 को पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है तथा अपीलार्थी के वाद मित्र राणाराम ने प्राप्त की प्रमाण में P35 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न है। जिसके क्र.स. 04 पर अपीलार्थी राणाराम द्वारा नकल प्राप्त किए जाने का अंकन है इससे भी यह स्पष्ट है कि नकल 9.4.2019 को प्राप्त करने पर अपीलांट को संज्ञान में उक्त बंटवाड़ा था उसके 8 माह बाद यह अपील दिनांक 17.12.2019 को पेश की गई जो स्पष्ट रूप से तथा म्याद बाहर होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 3 मोटाराम ने मौजा गाजनगढ़ के खसरा नंबर 449, 537 व 548 की भूमी बाबत बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद संख्या 16/2019 अन्तर्गत धारा 83, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र रा.वि. संख्या 24/2019 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा एक अन्य रा.वि. प्रार्थना पत्र संख्या 20/2019 उपखण्ड अधिकारी रोहट के न्यायालय में 12.7.2019 का प्रस्तुत किए जिसमें रेस्पोडेंट मोटाराम ने दर्ज किया कि वादी उसका भाई केसाराम व प्रतिवादीगण के द्वारा अपने–अपने हिस्से का नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 25.7.2018 में भरवाया गया। सभी पक्ष अपने अपने हिस्से काबिज काश्त है। उक्त प्रकरणों में अपीलार्थी बतौर प्रतिवादी व अप्रार्थी पक्षकार था एवं उसके अधिवक्ता भी श्री प्रकाश पटेल थे जो वर्तमान में भी अधिवक्ता है। इससे भी तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार अपील प्रथम दृष्टया म्याद बाहर होना स्पष्ट होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया है। प्रथम दृष्टया जैर अपील बंटवाड़ा सहमति से किया गया है जिस पर अपीलांट के भी हस्ताक्षर है जो पटवार हल्का एवं भू.अ.नि. के बाद तसदीक तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार बंटवाड़ा अपीलांट के संज्ञान में था। तथा पटवार हल्का खारड़ा के P35 रजिस्टर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के वाद मित्र राणाराम द्वारा जमाबंदी की नकल लेना उसके हस्ताक्षर से स्पष्ट होने से भी दिनांक 9.4.2019 को उसके संज्ञान में होना स्पष्ट है फिर भी अपील 26.12.2019 को पेश की गई जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 117 की नकल जिस बंटवाड़ा अनुसार खाते अलग–अलग हुए उसकी नकल 8.12.2019 को ली गई

क्रमश..................2

जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:36:57 IST
Reason: SelfAttested

उससे भी अपीलार्थी को जानकारी होना स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलार्थी को जानकारी होने के बावजूद भी म्याद प्रार्थना पत्र गलत व भ्रामक तथ्यों के आधार पर पेश किया जिसे अस्वीकार किया जाता है एवं अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होना सिद्ध है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट म्याद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25/11/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:36:57 IST
Reason: SelfAttested